International Journal for Multidisciplinary Research
Plagiarism & Intellectual Property Rights in Digital Age (PIPRDA-2023)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

अनुसंधान नैतिकता, साहित्यिक चोरी एवं कॉपीराइट उल्लंघन

राधा पटेल

(शोधार्थी) हिन्दी अध्ययनशाला एवं शोध केन्द्र महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय छतरपुर (म.प्र.) 471001

शोध सारांश :

इस आलेख के माध्यम से आप अनुसंधान नैतिकता, साहित्यिक चोरी एवं कॉपीराइट उल्लंघन को लेकर अपने विचारों में नवीनता ला सकेंगे। साथ ही आप यह जान पाएंगे कि इनकी अनुसंधन में क्या भूमिका है? यह आपके शोध कार्य को कैसे प्रभावित करता है और इनसे बचाव के क्या उपाय हैं? शोध नैतिकता आपको अपने शोध के प्रति ज्यादा निष्ठावान, समर्पित करती है तो साहित्यिक चोरी के मानदण्डों के माध्यम से आप अपने शोध को वैधता प्रदान कर सकते हैं। कॉपीराइट उल्लंघन आज बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर का आ रहा है। तकनीक में उन्नति के साथ हमें कॉपीराइट नियमों का भी पालन करना आवश्यक है।

बीज बिन्दु : अनुसंधान नैतिकता, साहित्यिक चोरी, कॉपीराइट उल्लंघन।

"अनुसंधान नैतिकता वैज्ञानिक शोधकर्ताओं के आचरण के मानकों को नियंत्रित करती है। अनुसंधान प्रतिभागियों की गरिमा, अधिकारों और कल्याण की रक्षा के लिए नैतिक सिद्धांतों का पालन करना महत्वपूर्ण है। इस प्रकार मनुष्यों से जुड़े सभी शोधों की एक नैतिकता समिति द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उचित नैतिक मानकों को बरकरार रखा जा रहा है।"[1]

अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अनुसार –

नैतिकता (रिसर्च एथिक्स) की परिभाषा :–

"मूल्य, सिद्धांत और मानक जो अध्ययन के डिजाइन कार्यान्वयन और निष्कर्षों की रिपोर्टिंग सहित कई क्षेत्रों में व्यक्तिगत शोधकर्ताओं के आचरण का मार्गदर्शन करते हैं। उदाहरण के लिए, अनुसंधान नैतिकता निर्धारित करती है कि मानव प्रतिभागियों से डेटा संग्रह से जुड़े अध्ययनों का मूल्यांकन संस्थागत समीक्षा बोर्डों द्वारा किया जाना चाहिए।"[2]

"अनुसंधान नैतिकता क्या है?

- नैतिकता नियमों का वह समूह है जो हमारे अपने और दूसरों के व्यवहार के प्रति हमारी अपेक्षाओं को नियंत्रित करता है।
- अनुसंधान नैतिकता, नैतिक दिशानिर्देशों का वह समूह है जो हमें मार्गदर्शन करता है कि वैज्ञानिक अनुसंधान को कैसे संचालित और प्रसारित किया जाना चाहिए।
- अनुसंधान नैतिकता वैज्ञानिक शोधकर्ताओं के लिए आचरण के मानकों को नियंत्रित करती है। यह अनुसंधान को जिम्मेदारी से संचालित करने के लिए दिशानिर्देश है।
- अनुसंधान जो मानव विषयों या योगदानकर्ताओं को शामिल करता है, विशिष्ट और बहुमुखी नैतिक, वैध, साम्प्रदायिक और प्रशासनिक चिंताओं को जन्म देता है।
- अनुसंधान नैतिकता स्पष्ट रूप से उन नैतिक मुद्दों की जांच से सम्बंधित है, जो अध्ययन में प्रतिभागियों के रूप में शामिल होने पर उठाए जाते हैं।
- अनुसंधान आचार समिति/संस्थागत समीक्षा बोर्ड (आई.आर.बी.) समीक्षा करती है कि शोध उत्तरदाताओं के अधिकारों, गरिमा और कल्याण की रक्षा के लिए पर्याप्त नैतिक है या नहीं।

अनुसंधान नैतिकता के उद्देश्य :

1) मानव प्रतिभागियों, उनकी गरिमा, अधिकारों और कल्याण की रक्षा/संरक्षण करना।
2) यह सुनिश्चित करना कि अनुसंधान को इस तरह से निर्देशित किया जाता है जो व्यक्तियों, समूहों और/या सभ्यता के कल्याण में सहायता करता है।
3) यह जोखिम को नियंत्रित करने, गोपनीयता की सुरक्षा और सूचित सहमति की प्रगति जैसे मुद्दों पर विचार करते हुए उनकी नैतिक विश्वसनीयता के लिए विशेष अनुसंधान घटनाओं और योजनाओं का निरीक्षण करना।

अनुसंधान नैतिकता के सामान्य सिद्धांत :–

ईमानदारी, अखण्डता, निष्पक्षतावाद, सूचित सहमति, व्यक्ति/प्रतिवादी के लिए सम्मान, उपकार, गैर दुर्भावना/प्रजा की रक्षा करना, जिम्मेदार प्रकाशन, गुमनामी की रक्षा करना, गोपनीयता, गैर–भेदभाव, खुलापन, बौद्धिक सम्पदा के लिए सावधानी और सम्मान, न्याय।

इन सिद्धांतों के अलावा अन्य नैतिक पहलू जिन पर शोध करते समय विचार किया जाना चाहिए–

1) लोगों के कमजोर समूहों का संरक्षण
2) शोधकर्ता के कौशल

अनुसंधान नैतिकता के लाभ :–

- अनुसंधान नैतिकता अनुसंधान के उद्देश्यों को बढ़ावा देती है।
- यह शोधकर्ता और प्रतिवादी के बीच विश्वास बढ़ाता है।
- अनुसंधान प्रतिभागियों की गरिमा, अधिकारों और कल्याण की रक्षा के लिए नैतिक सिद्धांतों का पालन करना महत्वपूर्ण है।

- शोधकर्ताओं को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जा सकता है।
- नैतिकता, सामाजिक और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देती है।
- अनुसंधान की महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा देना, जैसे कि समझ, सत्यता और त्रुटि से बचना।
- नैतिक मानक उन मूल्यों को बनाए रखते हैं जो सहकारी कार्य के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि विश्वास, उत्तरदायित्व, पारस्परिक सम्मान और निष्पक्षता।
- अनुसंधान में नैतिक मानदंड भी अनुसंधान के लिए सार्वजनिक अनुरक्षण के निर्माण में सहायता करते हैं। यदि लोग अनुसंधान के मूल्य और विश्वसनीयता पर भरोसा कर सकते हैं तो लोगों के एक शोध परियोजना पर भरोसा करने की अधिक सम्भावना है।''[3]

साहित्यिक चोरी :

इसका अंगेजी पर्याय 'Plagiarism' है जिसकी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के अनुसार परिभाषा :–

''साहित्यिक चोरी किसी और के काम या विचारों को उनकी सहमति के साथ या बिना पूरी स्वीकृति के अपने काम में शामिल करके अपने खुद के रूप में पेश करना। सभी प्रकाशित और अप्रकाशित सामग्री, चाहे पाण्डुलिपि, मुद्रित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो, इस परिभाषा के अन्तर्गत आती है।''[4]

साहित्यिक चोरी क्या है?

''दूसरों के काम को उसके स्रोत की पर्याप्त स्वीकृति के बिना प्रस्तुत करना, जैसे कि वह स्वयं का हो, साहित्यिक चोरी, धोखाधड़ी का एक रूप है। हम सभी दूसरों के कंधों पर खड़े होते हैं और हमें उन कार्यों के रचनाकारों को श्रेया देना चाहिए जो हम करते हैं।'' उन उत्पादों में शामिल करना जिन्हें हम अपना कह रहे हैं।

साहित्यिक चोरी के कुछ उदाहरण :–

- उद्धरण चिन्हों के बिना शामिल किए गए शब्दों का क्रम
- किसी दूसरे के काम से समझा गया एक अनजान मार्ग
- विचारों, ध्वनि रिकॉर्डिंग, कम्प्यूटर डेटा या दूसरों द्वारा बनाई गई छवियों का उपयोग जैसे कि यह उनका अपना हो।''[5]

''साहित्यिक चोरी कई रूपों में आती है। इसके ये पांच प्रकार सबसे आम प्रकार हैं–

वैश्विक साहित्यिक चोरी :– किसी अन्य व्यक्ति के सम्पूर्ण पाठ को अपने कार्य के रूप में प्रसारित करना।

वरबेटिंग साहित्यिक चोरी :– किसी और के शब्दों की सीधे नकल करना।

साहित्यिक चोरी – किसी और के विचारों को अपने विचारों के रूप में प्रस्तुत करना।

पैचवर्क साहित्यिक चोरी :– अपना पाठ बनाने के लिए विभिन्न स्त्रोतों के हिस्सों को एक साथ जोड़ना।

स्व–साहित्यिक चोरी :– अपने स्वयं के पिछले कार्य को पुनर्चक्रित करना।''[6]

''हम एक अकादमिक पेपर लिखते हैं, तो हम दूसरों के काम का निर्माण कर रहे होते हैं जिसमें सूचना और साक्ष्य के लिए विभिन्न विश्वसनीय स्त्रोतों का उपयोग करते हैं। साहित्यिक चोरी से बचने के लिए हम इन स्त्रोतों को अपने पाठ में सही ढंग से शामिल करने की आवश्यकता है, जिसके लिए हम इन सुझावों को अपना सकते हैं :–

- अपने शोध में जिन स्त्रोतों से आप परामर्श लेते हैं, उन पर नजर रखना।
- अपने स्त्रोतों से व्याख्या करना या उद्धत करना (और अपने स्वयं के विचार जोड़ना)।
- मूल लेखक को एक पाठ के भीतर उद्धरण और आपकी संदर्भ सूची में श्रेय देना।
- संदर्भित करने से पहले साहित्यिक चोरी चेकर का उपयोग करना।''[7]

''भारत में साहित्यिक चोरी एक नैतिक मुद्दे की तरह है न कि कानूनी। इसलिए एक लेखक कॉपीराइट उल्लंघन के खिलाफ केवल कानूनी कार्रवाही कर सकता है, सभी प्रकार की साहित्यिक चोरी के लिए नहीं। अनुमति के बिना किसी भी कॉपीराइट की गई सामग्री का उपयोग कॉपीराइट उल्लंघन का कारण बनता है। यह साहित्यिक चोरी से बहुत अलग है।''

'भारतीय कॉपीराइट अधिनियम' की धारा 57 लेखक को एक विशेष अधिकार देती है। यह साहित्यिक चोरी सहित उनके काम के किसी भी अनधिकृत उपयोग के खिलाफ लेखक को सुरक्षा प्रदान करता है।

अधिनियम की धारा 63 कॉपीराइट उल्लंघन को एक आपराधिक अपराध मानती है। सजा में 6 महीने से 3 साल तक की कैद शामिल हो सकती है। कभी–कभी कुछ मौद्रिक क्षतिपूर्ति हो सकती है।''[8]

कॉपीराइट उल्लंघन – यह अंग्रेजी के शब्द 'Copyright infringement' का हिन्दी पर्याय है।

''कॉपीराइट उल्लंघन क्या है?

''कॉपीराइट उल्लंघन कॉपीराइट धारक की अनुमति के बिना कॉपीराइट संरक्षित सामग्री का उपयोग या उत्पादन है। कॉपीराइट उल्लंघन का अर्थ है कि कॉपीराइट धारक को दिए गए अधिकार, जैसे कि एक निश्चित अवधि के लिए किसी कार्य का अनन्य उपयोग, किसी तीसरे पक्ष द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है। संगीत और फिल्में मनोरंजन के दो सबसे प्रसिद्ध रूप हैं जो महत्वपूर्ण मात्रा में कॉपीराइट उल्लंघन से ग्रस्त हैं।''[9]

यूएस कॉपीराइट कार्यशाला कॉपीराइट उल्लंघन को इस प्रकार परिभाषित करता है– ''एक सामान्य मामले के रूप में, कॉपीराइट उल्लंघन तब होता है जब कॉपीराइट स्वामी की अनुमति के बिना कॉपीराइट किए गए कार्य को पुनः प्रस्तुत, वितरित, प्रदर्शन, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित या व्युत्पन्न कार्य में बनाया जाता है।''[10]

''कॉपीराइट उल्लंघन के लिए निम्नलिखित तत्व मौजूद होने चाहिए –

- कॉपीराइट कार्य लेखक की मूल रचना है।
- कॉपीराइट उल्लंघन कार्य वास्तव में लेखक के कार्य से कॉपी किया गया है।

उदाहरण जहां कॉपीराइट का उल्लंघन होता है –
कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के अनुसार, भारत में निम्नलिखित मामलों में कॉपीराइट का उल्लंघन होता है –

- कॉपीराइट किए गए कार्य की प्रतियां अधिकार या अनुमति के बिना किराए पर लेने/बिक्री के लिए बनाई जाती है, जैसे कि ऑनलाईन पायरेसी।
- व्यक्तिगत और व्यापारिक लाभ के लिए उल्लंघनकारी प्रतियां वितरीत की जाती हैं।
- कॉपीराइट कार्य सार्वजनिक स्थान पर किया जाता है।
- उल्लंघनकारी प्रतियां भारत में आयात की जाती हैं।
- स्वामी के प्रतिकूल उल्लंघन करने वाली प्रतियों का सार्वजनिक प्रदर्शन।
- सिनेमैटोग्रॉफ फिल्म के अलावा किसी अन्य नाटकीय, साहित्यिक, कलात्मक या संगीतमय कार्य का पुनरुत्पादन।
- कॉपीराइट ध्वनि रिकार्डिंग को मूर्त रूप देने वाली रिकार्डिंग बनाना।
- सिनेमैटोग्रॉफिक फिल्म की कॉपी।

कॉपीराइट उल्लंघन उदाहरण :

- जब कोई अनधिकृत स्त्रोत से फिल्में डाउनलोड करता है, तो यह कॉपीराइट का उल्लंघन होगा।
- जब कोई व्यक्ति बिना क्रेडिट दिए यूट्यूब वीडियो में टेलीविजन सीरियल क्लिप का उपयोग करता है और यूट्यूब पर सीरियल क्लिप प्रकाशित करता है, तो यह कॉपीराइट उल्लंघन के बराबर है।
- जब कोई, गीत के संगीत को अपने गीत में पृष्ठभूमि संगीत के रूप में उपयोग करता है तो इसका परिणाम कॉपीराइट का उल्लंघन होता है।

कॉपीराइट उल्लंघन के मामले :

- YRF बनाम श्री साई गणेश प्रोडक्शंस''[11]
- हॉकिन्स कुकर लिमिटेड बनाम मैजिकुक अप्लायंसेज''[12]
- सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम यूट्यूब और गूगल''[13]

कॉपीराइट स्वामियों के अधिकार :
कॉपीराइट धारक कुछ आवश्यक अधिकारों के हकदार हैं जिनका वे नीचे उल्लेख के अनुसार अभ्यास कर सकते है –

1. उनके काम/ सृजन को पुनः पेश करने का अधिकार।
2. वितरण का अधिकार
3. व्युत्पन्न कार्य करने का अधिकार
4. सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन करने का अधिकार
5. पितृत्व का अधिकार''[14]

''कॉपीराइट उल्लंघन के अपवाद :

कुछ कार्रवाइयां कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं करती हैं। हालांकि, यह प्रमाणित करने के लिए कि कोई कॉपीराइट उल्लंघन नहीं हुआ है, कुछ आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए। इन मानदण्डों में अनुसंधान, अध्ययन, समालोचना, समीक्षा, समाचार, रिपोर्टिंग और पुस्तकालयों, कक्षाओं और कानून में उपयोग के लिए कॉपीराइट सामग्री का उपयोग करना शामिल है। कॉपीराइट धारक से अनुमति प्राप्त किए बिना कॉपीराइट किए गए कार्य के ऐसे उपयोग की अनुमति है।
भारत में, निम्नलिखित गतिविधियां भी कॉपीराइट उल्लंघन का गठन नहीं करती हैं :

1. **उचित उपयोग** : कॉपीराइट उल्लंघन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण औचित्य जैसा कि कॉपीराइट अधिनियम की धारा 53 में स्थापित किया गया है। मालिक/निर्माता कॉपीराइट उल्लंघन के कार्य को साबित करने का भार वहन करते हैं।
2. एक सम्बंधित न्यायिक कार्यवाही।
3. यदि प्रस्तुति भुगतान न करने वाली जनता के सामने है, तो यह एक शौकिया समूह या संगठन द्वारा किया जाता है।
4. विशिष्ट परिस्थितियों में, साहित्यिक, नाट्य या संगीत कार्यों की ध्वनि रिकार्डिंग करना।''[15]

कॉपीराइट उल्लंघन के उपाय :

1. **नागरिक उपचार** : कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 54 से 62 नागरिक उपचार से सम्बंधित है। अधिनियम की धारा 55 कॉपीराइट उल्लंघन के खिलाफ दीवानी कार्यवाही का प्रावधान करती है। अदालत कॉपीराइट उल्लंघन के लिए दीवानी मुकदमे में निषेधाज्ञा, हर्जाना और वित्तीय राहत प्रदान कर सकती है।''[16]

2. **आपराधिक उपचार** : अनुभाग 63 से 70 कॉपीराइट उल्लंघन से सम्बंधित अपराओं से निपटने हैं। कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 63 के अनुसार, कॉपीराइट स्वामी अपराधी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू कर सकता है, जिसके लिए कम से कम जेल की सजा, जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है और रुपये का मुआवजा दिया जा सकता है। 50000 रु. जिसे दो लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।''[17]

सन्दर्भ सूची :

1. 1.https://www.who.int/activities/ensuring-ethical-standards-and-procedures-for-research-with-human-beings#:~:text=Research%20ethics%20govern%20the%20standards,and%20welfare%20of%20research%20participants.
2. https://dictionary.apa.org/research-ethics
3. https://www.publichealthnotes.com/research-ethics-definition-principles-and-advantages/.
4. https://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/skills/plagiarism#:~:text=Plagiarism%20is%20presenting%20someone%20else%27s,is%20covered%20under%20this%20definition.
5. https://www.scribbr.com/plagiarism/types-of-plagiarism/
6. https://www.scribbr.com/plagiarism/types-of-plagiarism/
7. https://www.scribbr.com/plagiarism/how-to-avoid-plagiarism/
8. https://copyleaks.com/blog/a-brief-look-at-plagiarism-in-india#:~:text=Section%2057%20of%20the%20%27Indian,6%20months%20to%203%20years.
9. https://www.investopedia.com/terms/c/copyright-infringement.asp#:~:text=Copyright%20infringement%20is%20the%20use,breached%20by%20a%20third%20party.
10. वही
11. https://cleartax.in/s/copyright-infringement#:~:text=As%20per%20the%20Copyright%20Act%2C%201957%2C%20a%20copyright%20infringement%20occurs,performed%20in%20a%20public%20place
12. वही
13. वही
14. 14.https://www.thelegalvidya.in/copyright-infringement-laws-in-india
15. वही
16. वही
17. वही